



## आय का प्रमाण-पत्र :

मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र संलग्न है—: हाँ  ना  (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें) अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों का विवरण :—

आवेदक के जीवन साथी ( पत्नि / पति ) का नाम  (यदि साथ जा रहे हो तो)

जीवन साथी का आवेदन संलग्न है : हां  ना  (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

सहायक का नाम\*  (यदि सहायक को ले जा रहे हैं)

सहायक से संबंध (प्रिश्ता)

सहायक को ले जाने की स्थिति में क्या उसका आवेदन संलग्न है : हाँ  ना  (जो लागू उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें) (\*केवल 65+ की आयु के ऐसे आवेदक जो यात्रा पर अकेले जा रहे हैं को ही सहायक ले जाने की पात्रता है। समूह में यात्रा करने पर 3 से 5 यात्रियों तक केवल 1 सहायक ही ले जा सकते हैं।)

## आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण :—

पूरा नाम

पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_

वर्तमान पूर्ण पता

नामित प्रतिनिधि के  
त्वाक्षर / अंगादे का जिशाज़

पूरा नाम \_\_\_\_\_

पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_

संबंध (रिश्ता) [ ] दूरभाष नंबर [ ]

वर्तमान पूर्ण पता

### नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर / अंगठे का निशान

### आवेदक द्वारा घोषणा

मैं ..... आत्मज/आत्मजा .....

निवासी .....

घोषणा करता हूं / करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य हैं।

- (1) प्रमाणित है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियम व निर्देश मैंने पूर्णतः पढ़े / सुन कर समझ लिये हैं और मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी।
- (2) यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
- (3) इस योजना के अन्तर्गत मैंने पूर्व में यात्रा नहीं की है।
- (4) यात्रा हेतु चयन, केसी व्यक्ति को यात्रा पर ले जाने हेतु शासन पर बंधनकारी नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

### चिकित्सीय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

आत्मज/आत्मजा .....

आयु ..... वर्ष यात्रा करने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हैं और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं हैं।

शासकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर  
एवं पद मुद्रा

### पावती

श्री/श्रीमती ..... आत्मज/आत्मजा .....

निवासी .....

का आवेदन-पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

## समूह में यात्रा करने पर विवरण

(अधिकतम 25 व्यक्ति समूह में यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। 65+ वर्ष की आयु के आवेदक यदि अपने जीवन साथी के बिना समूह में अकेले यात्रा कर रहे हैं तब 3 से 5 यात्रियों को 1 सहायक ले जाने की पात्रता है। समूह के समस्त सदस्यों एवं सहायकों के नाम यहां भरें। समूह के सभी सदस्यों एवं सहायकों के आवेदन भी संलग्न करें।)

## समूह के सदस्यों के नाम

1.\*

\*(इस स्थान में समूह के मुखिया का नाम भरें)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

क्या समूह के सभी सदस्यों के आवेदन संलग्न है—हां  नहीं  (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

कुल जमा आवेदनों की संख्या—

## सहायकों के नाम

1.

2.

3.

4.

5.

क्या समूह के सभी सहायकों के आवेदन संलग्न है—हां  नहीं  (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)

कुल जमा आवेदनों की संख्या—